



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234796
CG-DL-E-01042022-234796

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]
No. 241]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2022/चैत्र 11, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2022/CHAITRA 11, 1944

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2022

सा.का.नि 253(अ).—वायुयान नियम, 1937 का और संशोधित करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, जिसे वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 के अधीन यथा अपेक्षित, नागर विमानन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 891(अ), तारीख 28 दिसंबर, 2021, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), के द्वारा, इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए, कथित उक्त प्रारूप नियम को उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले जिस तारीख को कथित अधिसूचना राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, प्रकाशित किया गया था;

उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां 29 दिसम्बर, 2021 से जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों को विचारण में ले लिया गया है;

अतः, अब, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार आगे वायुयान नियम, 1937 के रूप में संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में, जिन्हे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा जाएगा, के नियम 3 में, खंड (34क) के पश्चात, निम्नलिखित खंड को अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(34कक) “विनिर्माण” से कार्यों का निष्पादन जिसमें विमान, इंजन, प्रोपेलर अथवा संबंधित पुर्जों तथा प्रोटोटाइप सहित इसके लागू डिजाइन के साथ अनुरूपता में उपकरणों का संयोजन/अथवा उत्पादन शामिल होता है, अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजन के लिए “डिजाइन” से डाटा और सूचना का समूह जो वैमानिक उत्पाद टाइप के विचार को परिभाषित करते हैं, उड्डयन योग्यता निर्धारण के प्रयोजन के लिए उससे संबंधित पुर्जे और उपकरण, अभिप्रेत हैं।

3. उक्त नियमों के नियम 133क में, उप-नियम (1) में, “प्रचालन” शब्द के स्थान पर “प्रचालन, विनिर्माण” शब्दों को रखा जाएगा;

4. उक्त नियमों की अनुसूची 2 में, धारा ट एवं ढ में, ग्राफ 5क में, खंड (ख) के लिए निम्नलिखित खंडों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

(ख) पैरा (क) के अनुसार संपादित प्रवीणता जांच इस प्रकार होगी:-

(i) पायलट द्वारा संचालित विजुअल फ्लाइट रूल्स प्रचालनों के मामले में जांच की तारीख से बारह महीनों की समयावधि के लिए वैध होगी तथा एक बार में आगे केवल बारह महीने की समयावधि के लिए नवीकृत की जाएगी।

(ii) पायलट द्वारा संचालित इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स प्रचालनों के मामले में जांच की तारीख से छह महीनों की समयावधि के लिए वैध होगी तथा एक बार में आगे केवल छह महीने की समयावधि के लिए ही नवीकृत की जाएगी।

(खक) खंड (ख) के उप-खंड (ii) में निहित किसी बात के होते हुए भी, पायलट-इन-कमांड अथवा सह-पायलट जिसने सफलतापूर्वक इंस्ट्रूमेंट रेटिंग फ्लाइटिंग टैस्ट अथवा नवीकृत जांच, जैसा भी मामला हो, खंड “त” में विनिर्दिष्टानुसार पूरी कर ली हो, के विषय में माना जाएगा कि उसने प्रवीणता जांच पूरी कर ली है, जो कि छह महीनों की समयावधि के लिए वैध होगी।

[फा. सं. एवी-11012/3/2021-डीजी]

सत्येंद्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या वी-26 तारीख 23 मार्च, 1937 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें अंतिम बार संशोधन तारीख 13 मई, 2021 के सा.का.नि. 327 (अ) द्वारा किया गया जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में तारीख 11 मई, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2022

G.S.R. 253(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published as required under Section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, number G.S.R. 891(E), dated the 28th December, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 29th December, 2021;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the draft rules within the period specified have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely: —

1. Short title and commencement. —

- (1) These rules may be called the Aircraft (Second Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, hereinafter referred to as said rules, in rule 3, after clause (34A), the following clause shall be inserted namely:—

“(34AA) “Manufacture” means the performance of tasks that involve assembly or production of aircraft, engine, propeller or associated parts and appliances in conformity with its applicable design including prototype.”;

Explanation,- For the purpose of this clause, “design” means the set of data and information that defines the configuration of an aeronautical product type, its associated parts and appliances for the purpose of airworthiness determination”.

3. In rule 133A of the said rules, in sub-rule (1), for the word “operation”, the words, “operation, manufacture” shall be substituted.
4. In Schedule II of the said rules, in section K and N, in paragraph 5A, for clause (b), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(b) The proficiency check carried out as per para (a) shall be—

- (i) valid for a period of twelve months from the date of the check in case of pilot conducting Visual Flight Rules operations and shall be renewed for a further period of twelve months at a time.
 - (ii) valid for a period of six months from the date of the check in case of pilot conducting Instrument Flight Rules operations and shall be renewed for a further period of six months at a time.
- (ba) Notwithstanding anything contained in sub-clause (ii) of clause (b) , the Pilot-in-Command or Co-pilot who has successfully carried out instrument rating flying test or renewal check, as the case may be, specified under Section “P” shall be considered to have undergone proficiency check which shall be valid for a period of six months.”

[F. No. AV-11012/3/2021-DG]

SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 327(E), dated the 13th May, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 11th May, 2021.